

नोट:- निम्न आवेदन फार्म का प्रारूप केवल मात्र आपके द्वारा ऑनलाईन भरी जाने वाली सूचनाओं एवं संलग्न दस्तावेज के बारे में आपको अग्रिम रूप में बताने मात्र के लिए है।
अतः ऑनलाईन आवेदन करते समय प्रारूप को भर के स्कैन/अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

FORM-4

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपविभाजन एवं पुर्नगठन हेतु आवेदन-पत्र

उपायुक्त / प्राधिकृत अधिकारी,
जोन-
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

महोदय,

Photo of Applicant

सविनय उपविभाजन एवं पुर्नगठन जारी किये जाने हेतु आवेदन के संबंध में आवेदक एवं भूखण्ड की सूचना निम्नानुसार है :-

आवेदक का विवरण :	
आधार नं.	
जनआधार नं.	
आवेदक का नाम (पत्र में अंकित किये जाने वाला नाम)	(हिन्दी में) (In English)
आवेदक के पिता/पति का नाम (पत्र में अंकित किये जाने वाला नाम)	(हिन्दी में) (In English)
वर्तमान पता	----- -----
मोबाईल नं.	
ईमेल आईडी	
भूखण्ड का विवरण (जिसका उपविभाजन एवं पुर्नगठन-पत्र चाहा गया है) :-	
सर्विस नम्बर / प्रोपर्टी आई.डी.	
विकासकर्ता का प्रकार	☐ जयपुर विकास प्राधिकरण ☐ निजी खातेदार ☐ सहकारी समिति ☐ अन्य
विकासकर्ता का नाम	
योजना का नाम	
भूखण्ड संख्या	
भूखण्ड पर निर्माण की स्थिति	☐ रिक्त ☐ निर्मित (प्रथम बिजली/पानी का बिल संलग्न करें) *

मौके पर भूखण्ड का उपयोग		☐ आवासीय ☐ गैर आवासीय		
जविप्रा द्वारा जारी पट्टे में अंकित विवरण :				
भू-स्वामी/पट्टाधारक का नाम				
पट्टा जारी क्रमांक व दिनांक				
पट्टा रजिस्टर्ड होने का क्रमांक एवं दिनांक				
स्वामित्व अन्तरण का आधार एवं क्रम :				
क्रम	दस्तावेज का नाम	दिनांक	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम
1.				
2.				
क्या भूखण्ड के संबंध में किसी भी न्यायालय/मंच/अधिकरण/आयोग/अन्यत्र कोई वाद विचाराधीन है?		☐ नहीं ☐ हां (यदि हां, तो विवरण)	न्यायालय/मंच/अधिकरण/आयोग का नाम.....	
			सीएनआर संख्या	
			वाद संख्या.....	
			उनवान.....	
			वाद का विषय	
क्या भूखण्ड पर बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से लोन प्रभावी है।		☐ नहीं ☐ हां	यदि हां, तो बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी दस्तावेज की सूची (लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट) की प्रति भी स्कैन/अपलोड करें।	

आवेदक उक्त भूखण्ड का एकमात्र भूस्वामी एवं कब्जाधारी है, उक्त भूखण्ड पर कोई विधिक विवाद/स्थगन/अवरोध नहीं है। सेवा प्राप्ति हेतु उक्तानुसार सूचना का इन्द्राज करते हुए अपेक्षित दस्तावेजात मय शपथ-पत्र संलग्न/अपलोड किये गये हैं, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/फेरबदल पाये जाने की स्थिति में मेरा आवेदन प्रथमदृष्टया निरस्त किये जाने से सहमत है एवं सेवा प्राप्ति उपरान्त भी आवेदक उपविभाजन एवं पुर्नगठन पत्र साईट प्लान सहित वापिस लौटाने हेतु वचनबद्ध है तथा आवेदक सेवा से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध है।

अतः कृपया नियमानुसार भूखण्ड का उपविभाजन एवं पुर्नगठन पत्र साईट प्लान सहित जारी करवाये जाने का कष्ट करें।

नोट- कृपया आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर स्वहस्ताक्षरित एवं सभी संलग्न/अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज भी स्वसत्यापित कर ही अपलोड करें।

आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न/अपलोड करें:-

1. आवेदन पत्र में एक फोटो-
2. पहचान पत्र (जन-आधार कार्ड/आधार कार्ड/मतदान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेन्स)
3. पूर्व में जविप्रा द्वारा जारी तथा रजिस्टर्ड लीजडीड एवं साईट प्लान
4. भूखण्ड से संबंधित अपंजीकृत/पंजीकृत विक्रय-पत्र (चैन ऑफ डॉक्यूमेंट)

यदि लीजडीड/नाम हस्तान्तरित मूल धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस प्रकरण में निम्न दस्तावेज भी संलग्न/अपलोड करें :-

1. मूल धारक का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित/नोटराइज्ड सजरा- वन्शावली प्रमाण-पत्र
2. पंजीकृत वसीयत या अपंजीकृत वसीयत
3. पंजीकृत एवं अपंजीकृत हक त्याग पत्र

☐ मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड की गई है। इनमें किसी भी प्रकार का फेरबदल, भिन्नता या कूटरचना नहीं है। इनकी सत्यता के लिए मैं/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ।